HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11194/2026
CNR: RJHC020664612026 | URN: CRLMB / 20696U / 2026

Rashid S/o Shri Rujdari, Aged About 23 Years, R/o Teuwas, Police Station Kotkasim, District Khairthal-Tija (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. K. K. Bhinda, Adv. Mr. Naman Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

17/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–231/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 318(4), 316(2), 317(2), 317(5), 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्त दिनांक 27.06.2026 से अभिरक्षा में है, प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, उससे कोई राशि भी प्राप्त नहीं हुई है, महत्वपूर्ण अभिरक्षात्मक अनुसंधान हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि वर्तमान मामले में आरोप पत्र पेश नहीं हुआ है, किंतु प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 27.06.2026 से अभिरक्षा में है, उसके द्वारा अपने मोबाईल से विभिन्न प्रजाती की बिल्ली भेजने की सामग्री डालकर धोखाधड़ी करने के प्रयास का आरोप है, अभियुक्त से महत्वपूर्ण अभिरक्षात्मक अनुसंधान हो चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **राशिद पुत्र रूजदारी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

55/DINESH KUMAWAT